

21/11/23 आज यह फरफली काउण्ड के साथ जमीन जमीन का
एक लख कुपेशी में ली गयी जमीन का वकिल जमीन
उपस्थित आयी नुंसी काउण्ड नोटिस में खाली न द
कुसुमों अतः अब इस जमीन का 212 RTA में कोई
कार्रवाई का कोई अर्थविलय नहीं है अतः जमीन का 212
RTA इसे स्वरूप खाली न किया जाता है तथा
दिनांक 23/05/2023 को जारी अन्तर्दिन स्थगत
आदेश निरस्त किया जायेगा फरफली फौजल सुमर
केर नम्र संभ धाबाड प्रति संलग्न जा रहे है

हायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०